न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 86/17
...सी पुत्र मूल्या जाति ब्राहम्ण निवासी बपूई तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
अपीलांट

बनाम

1. कैलाश पुत्र केसरा जाति माली निवासी बपूई तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर
2. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर
3. प्रबंधक महोदय इंडियन ओवरसीज बैक शाखा बपूई तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली
मु0न0 22/17 निर्णय दिनांक 22.5.17)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपीलांटान की और से श्री रविन्द्र सिह राजावत
2. रेस्पोडेटान की और से कोई उपस्थित नही

निर्णय

दिनांक 31.10.2019

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के मु0नं0 22/17 निर्णय दिनांक 22.5.17 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी द्वारा एक दावा बाबत उदघोषणा ,इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि अपीलांट/वादी की पैतृक आराजी पुराने ख0न0 848 रकबा 4 बीघा 11 विस्वा, 849 रकबा 16 विस्वा, 850 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 12 विस्वा वाके ग्राम बपूई तहसील बौली मे स्थित है। जो विरासत मे अपने पिता मूल्या ब्राहम्ण से प्राप्त हुई है। जिसके नये न0 1364,1365,1366,1724,1725,1726 कुल किता 6 कुल रकबा 1.67 है0 बने है। उक्त भूमि की सिचाई ख0न0 1725 पुख्ता चाह से होती आई है। उक्त कुआ अपीलांट/वादी द्वारा ही खुदवाया गया है। सेटलमेट 2002 से 2007 तक सेटलमेट वालो ने प्रतिवादी/रेस्पो0 1 की खातेदारी भूमि ख0न0 1724/3383 रकबा 0.13 है0 की तरमीम अपीलांट/वादी की रकबे पुराना ख0न0 848 मे मध्य भाग मे कर दी है। जबकि प्रतिवादी/रेस्पो0 1 की भूमि के पुराने ख0न0 845 रकबा 3 बीघा भूमि अपीलांट/वादी की भूमि ख0न0 848 से बिलकुल अलग भूमि है। अपीलांट/वादी के खेत ख0न0 नये 1366 व 1724 के बीच प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख0न0 1724/3383 की तरमीम गलत तरीके से कर दी है। जिसमे अपीलांट/वादी का कुल रकबा 1.67 है भूमि 0.13 है0 भूमि कम पडती है। अपीलांट/वादी के पुराने ख0न0 848 व प्रतिवादी/रेस्पो0 1 के पुराने ख0न0 845 का नक्शाशीट पुरानी व नई का अवलोकन करने पर दोनो ख0न0 अलग अलग है। तथा ख0न0 1724/3383 सेटलमेट वालो ने स्पष्ट रूप से अपीलांट/वादी की भूमि मे तरमीम की है तथा ख0न0 1724/3383 भी प्रतिवादी/रेस्पो0 1 पुराने ख0न0 845 से बने है। उक्त नये ख0न0 1724/3383 की तरमीम पुराने ख0न0 845 की जगह सेटलमेट वालो को दर्ज करने चाहिए थे। उक्त कृत्य न्यायोचित नही है। अपीलांट/वादी का शुरू से वर्तमान तक कब्जा विवादित भूमि पर चला आ रहा है। प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 का ख0न0 1724/3383 पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त गलत तरमीम प्रतिवादी/रेस्पों0 संख्या 1 को अपीलांट/वादी की भूमि मे करवाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। इस प्रकार उक्त गलत तरमीम का इन्द्राज दुरूस्ती कराने हेतु अपींलाट/वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के सीमाज्ञान हेतु टीम का गठन कर देने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब गई। रेस्पो0 बाबजूद तामिल के उपस्थित नही होने पर बहस अपीलांट अभिभाषक की सुनी गई।

Scanned by CamScanner

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनन इंसाफन गलत होने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्व होने के कारण निरस्त योग्य है। आराजी ख0न0 1724/3383 रकबा 0.1300 है0 वाके ग्राम बपूई तहसील बौली जिसके साबिक न0 845 है को गलत तरीके से रेस्पो0 संख्या 1 के खातेदारी मे दर्ज किया गया है। अपीलांट की उक्त आराजी पुश्तैनी है जिसके पुराने ख0न0 848,849,850 कुल किता 3 कुल रकबा 6 वीघा 12 विस्वा था जो एक ही जगह पर स्थित है। जिसके सेटलमेंट के बाद नये ख0न0 1364,1364,1366,1724,1725,1726, कुल किता 6 कुल रकबा 1.67 है0 है। सेटलमेंट कर्मचारियो ने गलत तरीके से ख0न0 1724/3383 रकबा 0.13 है0 भूमि की तरमीम अपीलार्थी के पुराने ख0न0 848 के मध्य भाग मे कर दी है जिसे ठीक किया जाना न्यायोचित है। इस हेतु अपीलांट/वादी द्वारा मातहत न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व केम्प मे बिना सुनवाई व साक्ष्य को रिकार्ड किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावे कि वे प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

रेस्पो0 बाबजूद तामिल मे उपस्थित नही हुए है। ना ही उनकी और से किसी विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया है।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा आराजी साबिक ख0न0 848 रकबा 4 बीघा 11 विस्वा की बन्दोबस्त के बाद तरमीम की गई तब ख0न0 1724/3383 रकबा 0.13 है0 जो रेस्पो0 1 की खातेदारी मे दर्ज है इसे ख0न0 848 केबीच मे तरमीम कर दिया। जिसे दुरस्त कराने हेतु घोषणात्मक वाद अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.5.17 को राजस्व केम्प मे अपीलांट/वादी को बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि विधि अनुरूप वाद के निस्तारण से पूर्व वाद मे तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार विवेचन कर एवं उभयपक्ष की साक्ष्य रिकार्ड पर लिये जाने के पश्चात ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए। वादग्रस्त आराजीयात साबिक ख0न0 848 रकबा 4 बीघा 11 विस्वा पर अपीलांट/वादी द्वारा बैक के रहन रखी हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण से किसी प्रकार का जबाब प्राप्त नही किया गया है। केवल मात्र विवाद का बिन्दु सीमाज्ञान को माना जाकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार हमारे मतानुसार अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय के मु0न0 22/17 निर्णय दिनांक 22.5.17 को अपास्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात के सबंध मे तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुरूप निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है वे दिनांक 26.11.2019 को उपजिला कलेक्टर बौली के यहॉ होवे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

31.10.19

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

(बाबूलाल रैगर)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.18 11:51:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: